सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–के अन्तगर्त बेसिक शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन का सिटिजन चार्टर

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित व प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा– 1 से कक्षा–8 तक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारण, धन की व्यवस्था तथा प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारियों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, का अधिष्ठान कार्य सम्पादित किया जाता है।

शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम 1991 से आरम्भ किया गया है, यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में कई चरणों में निम्न प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है।

कुल– 70 जनपद

1– सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से आच्छादित जनपदों की संख्या–08

2– उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के चरण में जनपदों की संख्या–31

3– सतत् शिक्षा योजना से अनुमोदित जनपदों की संख्या–31

वर्ष 2005–06 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सभी जनपदों में उत्तरसाक्षरता कार्यक्रम लागू हो जाए तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम में 25 और जनपदों को आच्छादित किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसके लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किये गये हैं:–

- वर्ष–2007 तक सभी बच्चो को 05 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना
- वर्ष–2010तक सभी बच्चों को कक्षा –8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।
- गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।

<u>उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ लागू हैं:–</u>

1– शिक्षा की पहुँच का विस्तार

2– बच्चों के ठहराव में वृद्धि

3– शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित एवं समयबद्ध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन का वर्तमान आधारभूत ढाँचा:-

1-	मा0 मंत्री जी	(बेसिक शिक्षा)
2-	मा0 राज्य मंत्री जी	(बेसिक शिक्षा)
3-	सचिव	(बेसिक शिक्षा)
4-	विशेष सचिव	(03)(बेसिक शिक्षा)
5	संयुक्त सचिव	(02)(बेसिक शिक्षा)
6-	अनु सचिव	(01)(बेसिक शिक्षा)
7-	अनुभाग अधिकारी	(07)(बेसिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न अनुभाग:-

1-	शिक्षा अनुभाग-	1
2-	शिक्षा अनुभाग-	2
3-	शिक्षा अनुभाग-	5
4-	शिक्षा अनुभाग-	6
5-	शिक्षा अनुभाग-	11
6-	शिक्षा अनुभाग-	13
7-	शिक्षा अनुभाग-	14

1-शिक्षा अनुभाग-1 में व्यवहृत होने वाले कार्य

उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य संवर्ग समूह 'ख' उच्चतर सेवा के अधिकारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी निम्न कार्य:-

1- संवर्ग सम्बन्धी मामले

2- नियुक्ति परीवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता, बाध्य प्रतीक्षा, त्याग पत्र।

3- वेतन निर्धारण।

4- प्रतिनियुक्ति पर तैनाती।

5- स्थानान्तरण तथा नियुक्ति/ स्थानान्तरण संबंधी विज्ञप्तियाँ।

6- अदेयता प्रमाण-पत्र।

7- प्रशिक्षण

8- शिकायतें/अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता जाँच/सी0बी0सी0आई0डी0जाँच, अभियोजन की स्वीकृति।

9- यात्राभत्ता,प्री-आडिट बलों,पेंशन,ग्रेच्युटी, प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध/ प्रत्यावेदन का निस्तारण।

10- उक्त विषयों से सम्बन्धित उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में वादों की अनुमति।

11- शिक्षा विभाग के प्रश्न एवं संन्दर्भ समिति का समन्वय कार्य।

12- अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित)से सम्बन्धित नीति विषयक कार्य।

13- अधीनस्थ शिक्षा सेवा से समूह 'ख' में प्रोन्नति/ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित कार्य।

2- शिक्षा अनुभाग-2 में ब्यवहृत होने वाले कार्य

1- शिक्षा निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय,के मामले एवं लेखा की आपत्तियां। उक्त कार्यालयों की लेखा परीक्षण आख्यायें तथा लेखा समिति की आख्याओं का निस्तारण।

2- राजकीय विद्यालयों के अन्तर्गत अधीनस्थ शैक्षिक सेवा (एल0टी0)वेतनक्रम के सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं तथा मनोवैज्ञानिकों के सेवा संबंधी एवं नीति विषयक मामले।

3- शिक्षा विभाग के लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नीति विषयक मामले तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी संवर्ग के नीति विषयक मामले एवं सेवा संबंधी प्रकरण।

4- शिक्षा विभाग के भवन किराये एवं भूमि अध्याप्ति के मामले।

5- शिक्षा निदेशालय, निरीक्षण कर्मचारियों इत्यादि ऐसे बचनबद्ध वित्तीय स्वीकृतियां जो प्रारम्भ में आयोजनेत्तर पक्ष में रही हैं।

6- शिक्षा विभाग के लेखा संगठन के सेवा संबंधी एवं नीति विषयक मामले।

7- विधान सभा/परिषद आश्वासन समिति की बैठकों से संबंधित सभी कार्य।

8- शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक शिक्षक एवं लेखा संगठन से संबंधित समस्त सेवा संघों की मांग सम्बन्धी मामले।

9- प्रसार अध्यापकों एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों का समायोजन।

3– शिक्षा अनुभाग–5 में व्यवहृत होने वाले कार्य

1– बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों /कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले वेतन/बजट व्यवस्था।

2– बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना, भवन निर्माण, भूमि अध्याप्ति इत्यादि के मामले।

3– बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्याालयों के लिये साज–सज्जा के क्रय हेतु नीति का निर्धारण।

4– बेसिक शिक्षा परिषद व उसके जिला स्तरीय कार्यालयों के लेखों के आडिट आख्याओं का अनुपालन।

5– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का पुर्नगठन।

6– परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों के संचालनार्थ परिषद को अनुदान।

7– अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना।

8– प्राइमरी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण।

9– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 से अंग्रेजी शिक्षण।

10– प्राथमिकता शिक्षा सम्बंधी योजनाओं का कार्य।

11– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का कार्यान्वयन तथा उसके अन्तर्गत नियमावली का निर्माण एवं संशोधन आदि।

12– जूनियर बेसिक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का क्रय।

13– बेसिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण।

14– कम्प्यूटर, जूनियर/बेसिक स्कूल से सम्बन्धित समस्त कार्य।

15– आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना/ शिक्षा मित्र योजना।

16– उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/विश्व बैंक/वाह्य सहायतित परियोजना।

17– विधान परिषद/विधान सभा के अन्तर्गत गठित संसदीय अध्ययन समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य।

18– शिक्षा अधीक्षक से सम्बन्धित समस्त कार्य

<u>4- शिक्षा अनुभाग-6 में व्यवहृत होने वाले कार्य</u>

1- अशासकीय, नर्सरी, प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता तथा अनुदान।

2- प्राइमरी तथा जूनियर स्तर तक के पाठ्य पुस्तकों का लेखन, मुद्रण, राष्ट्रीयकरण आदि।

3- प्राथमिक एवं जू0 हा0 स्कूल परीक्षा।

4- राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान।

5- मध्यान्ह पोषाहार योजना।

6- विधान सभा/विधान परिषद के अन्तर्गत गठित संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति से संबंधित समन्वय कार्य।

7- कक्षा-1 से 8 तक के विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करना।

8- इंग्लिश माध्यम स्कूलों की मान्यता तथा नीतियों का निर्धारण।

<u>5- शिक्षा अनुभाग-11 में व्यवहृत होने वाले कार्य</u>

1- विज्ञान किट निर्माणशाला संबंधी समस्त कार्य (अधिष्ठान कार्य सहित) डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग के अधिष्ठान सहित समस्त कार्य।

2- अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित गोष्ठियों, वर्कशाप। सेवारत प्राथमिक अध्यापकों की विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था। केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना। क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर में शिक्षकों का प्रशिक्षण। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान से संबंधित समस्त कार्य।

3- सोलिडेरटी दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस, वन जन्तु दिवस के संबंध में अनुदेश जारी करना। पद उपाधियों, प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें, साइन्स कोलेक्स की परीक्षा,, नैतिक शिक्षा संबंधी कार्य, दृश्य श्रव्य शिक्षा, शिक्षा प्रसार विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान सी0पी0आई0, इलाहाबाद से संबंधित कार्य। राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद तथा राज्य मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद से संबंधित कार्य।

4- राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनायें, आई0एम0एस0टी0एस0, राजेन्द्रपुर प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति, राज्य सरकार द्वारा साहित्यकारों को वित्तीय सहायता, भारत सरकार द्वारा साहित्यकारों को आर्थिक सहायता।

5- जनसंख्या शिक्षा परियोजना, एजूकेशन टेक्नालाजी सेल से संबंधित अधिष्ठान सहित समस्त कार्य। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधिष्ठान सहित समस्त कार्य। यूनेस्कों के सौजन्य से संचालित योजनायें, इम्प्रूवमेंट आफ साइन्स एजूकेशन योजना संबंधी बजट तथा व्यय की गई मदों की अनुसूचना।

6- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार,एल0टी0 प्रशिक्षण अशासकीय एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेवारत माध्यमिक विद्यालयों का अभिनवीकरण, शासकीय तथा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित बी0टी0सी0 इकाइयां, बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थाओं से संबंधित सभी मामले, नर्सरी सी0टी0 जे0बी0टी0सी0 प्रशिक्षण

7- गृह विज्ञान विद्यालय, पूर्व व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना, छात्र कल्याण निधि(एस0) उच्च शिक्षा को छोडकर तथा।

8- विधान सभा के अन्तर्गत गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष लम्बित प्रकरणों का समन्वय कार्य।

<u>6- शिक्षा अनुभाग-13 में व्यवहृत होने वाले कार्य</u>

1- उ0प्र0 शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा के अंतर्गत समूह के उच्चतर पदों पर कार्यरत अधिकारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।

2- उक्त अधिकारियों की गोपनीय चरित्र-पंजिकाओं का रख-रखाव समूह 'क' के अधिकारियों की आख्याओं का अनुमोदन।

3- सचिवालय में उप सचिव एवं उच्चतर पदों पर शैक्षिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय (पदों का सृजन तथा सचिवालय में नियुक्ति के उपरान्त उन्हें अनुमन्य सुविधाओं एवं देयों को छोडकर)समस्त कार्य।

4- समूह 'क' तथा उच्चतर पदों के वेतन का आयोग से संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षण।

5- सतर्कता आयोग से प्राप्त मामलों में शिक्षा विभाग के समूह 'क' के अधिरियों के बिरुद्ध कार्यवाही।

6- पी0एल0ए0 की धनराशि का समूह 'क' के अधिकारियों के नाम रखे जाने का प्रबन्धन।

7- विधान परिषद के अंतर्गत गठित विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित विभिन्न प्रकरणों का समन्वय कार्य।

7– शिक्षा अनुभाग–14 में व्यवहृत होने वाले कार्य

1– प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान उपागम की कार्य योजना, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जनपद स्तरद पर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य, यथा–आय–व्ययक संबंधी कार्य तथा उससे संबंधित विधान सभा/विधान परिषद/संसदीय प्रश्न एवं उनसे संबंधित विभिन्न सूचनाऐं।

2– समाप्त हुई प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों जिनमें पर्यवेक्षक एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं से संबंधित कोर्ट केसेज। साक्षरता निकेतन, राज्य संदर्भ केन्द्र, लखनऊ, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदनों का निस्तारण, महिला समाख्या सोसाइटी, उ0प्र0, लखनऊ तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु प्रशासनिक तंत्र का सुदृढीकरण नामक योजना (केन्द्रीय अंश/राज्य अंश) से संबंधित समस्त कार्य।

3– केन्द्र पुरोनिधानित जन शिक्षण निलयमों की स्थापना, राज्य संसाधनों से जन शिक्षण निलयमों की स्थापना। राज्य प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं उन्हें केन्द्रीय सहायता हेतु अग्रसारण।

4– अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित समस्त कार्य।

बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारियों का कार्यालय पता एवं दूरभाष संख्या:-

क0सं0	नाम	पद नाम/ वेतनमान	दूरभाष संख्या	कार्यालय पता
1	श्री किरनपाल सिंह	मा0 मंत्री जी बेसिक शिक्षा	2379 2239251	कक्ष सं0ए0- 73 मुख्य भवन उ0प्र0 सचिवालय।
2	श्री अजित कुमार राजू	मा0राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा	4809 2238097	कक्ष सं0जी01-4 आठवां तल, बापू भवन,उ0प्र0सचिवालय।
3	श्री जे0एस0 दीपक	सचिव,बेसिक शिक्षा रु018400-22400	3175 2237830	कक्ष सं0-17,तृतीय तल सचिव भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
4	श्री कामरान रिजवी	विशेष सचिव बेसिक शिक्षा रु018000-22000	4509 2238093	कक्ष सं0 211, द्वितीय तल बापूभवन, उ0प्र0सचिवालय।
5	श्री ए0एच0 अंसारी	संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा रु014300-18300	3925	कक्ष सं0-34 भूतल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
6	श्री रमेश चन्द्र घिल्डियाल	संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा		कक्ष सं0- द्वितीय तल, बापूभवन

बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कार्य से सम्बन्धित अधिकारीगण।

(अ)जन सूचना अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	श्री रमेश चन्द्र घिल्डियाल, संयुक्त सचिव । कार्यालय-बापू भवन, तृतीय तल उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ। दूरभाष-
(ब)अपीलीय अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण , विशेष सचिव कक्ष सं0-34, अधिकारी भवन, उ0प्र0, लखनऊ। दूरभाष-सी0एच0-3343

बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत निम्नॉकित 04 निदेशालय कार्यरत हैं:-

1- बेसिक शिक्षा,निदेशालय,उ0प्र0,इलाहाबाद (शिविर कार्यालय विद्याभवन निशातगंज लखनऊ।

2- सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निदेशालय, उ0प्र0,विद्याभवन निशातगंज लखनऊ।

3- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निदेशालय, उ0प्र0, निशातगंज लखनऊ।

4- साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,नवीउल्ला रोड लखनऊ।

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्त निदेशालयों के अतिरिक्त अशिक्षित महिलाओ को संगठित करने, जागरूक करने तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बी-5/21, विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में महिला समाख्या उ0प्र0 लखनऊ के नाम से एक एन0जी0ओ0 भी कार्यरत है।

बेसिक शिक्षा विभाग / निदेशालय में कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित एक्ट आदि प्रचलित हैं :-

1. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972
2. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000
3. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973
4. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली 1975
5. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978
6. उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल(अध्यपकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1978
7. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981
8. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981
9. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1983
10. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 1987
11. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1987
12. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (पांचवा संशोधन) नियमावली 1993
13. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (छटा संशोधन) नियमावली 1994
14. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली 1997
15. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा (आठवां संशोधन) नियमावली 1998
16. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली अद्यतन संशोधित ।
17. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जूनियर हाईस्कूल) लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1984

18. उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमावली 1976
19. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975
20. उत्तर प्रदेश शिक्षा निधि(प्रथम संशोधन)य नियमावली, 1979
21. उत्तर प्रदेश शिक्षा निधि(द्वितीय संशोधन)य नियमावली, 1995
बेसिक शिक्षा संहिता भी प्रचलित है ।
22. शिक्षा संहिता 1958
23. सामान्य शिक्षा सेवा सम्वर्ग सेवा नियमावली –1992
24. सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली –1991
25. क्लासीफाइड एण्ड कन्ट्रोल अपील रूल्स–1955 एवं 1999
26. सरकारी सेवक आचरण नियमावली –1956
27. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली –1992

सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निदेशालय, के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है :–

(क) परिषद् की नियमावली (ख) परिषद् की कार्यक्रम समिति, वित्त समिति तथा कार्यकारिणी समिति के निर्णय/निर्देश (ग) भारत सरकार के निर्देश (घ) राज्य सरकार के शासनादेश एवं निर्देश (च) सर्व शिक्षा अभियान की गाइड लाइन्स (छ)सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबन्धन नियमावली (ज) भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के कार्यवृत्त में अंकित निर्देश।

➢ धारित / नियंत्रणाधीन दस्तावेज़ों की सूची निम्नवत् है:-

1. परियोजना स्वीकृति के अभिलेख।
2. पर्सपेक्टिव प्लान।
3. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट।
4. वार्षिक रिपोर्ट।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार द्वारा लागू सामान्य नियमों/विनियमों से आच्छादित है तथा उसी के दिशा निर्देशों के अनूरूप समयबद्ध तथा प्रक्रियाबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजो का विवरण :-

1. अधिष्ठान अभिलेख
2. बजट एवं लेखा अभिलेख
3. परिषद् के कृत्यों यथाप्रशिक्षण आदि से सम्बंधित अभिलेख।

बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन तथा उससे जुड़े निदेशालयों के विषय में विस्तृत जानकारी तत्सम्बन्ध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रकाशित एक मैनुअल में बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न निदेशालय, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित जनसूचना अधिकारियों के नाम पते तथा अन्य विवरण उपलब्ध हैं। यही सूचना सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www·upefa·com पर भी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-993/ 43-2-2005, दिनाँक 19.10.2005 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित है जिसे नकद अथवा सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर चेक के रूप में उपलब्ध कराकर देय सूचना भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है:-

1- अधिनियम की धारा-6 की उप धारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण-पत्र देना होगा)।	रु010.00(प्रति आवेदन पत्र)
2- किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु (ए-4) या (ए-3) साइज पेपर पर प्रतिलिपि	रु02.00(प्रतिपृष्ठ)
3- लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु	वास्तविक व्यय प्रति पृष्ठ
4- सेम्पल अथवा माडल के लिए उनका वास्तविक मूल्य और जहाँ सूचना छपी मूल्य से संबंधि है वहाँ निर्धारित छपी मूल्य।	---
5- अभिलेखों का निरीक्षण प्रति घंटा उसके बाद प्रत्येक 15मिनट की अवधिके लिए	रु010.00 रु05.00
6- डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर।	रु050.00 (प्रत्येक)
7- प्रिन्टेड सामग्री की सूचना हेतु एसे प्रिन्टेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर।	--
8- प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकापी के लिए ।	रु02.00(प्रतिपृष्ठ)

अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 के उपरोक्त मैनुअल /वेबसाइट का अवलोकन करें ।